दिनांक 05.02.2024 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

भिलाई निगम के मुख्य व सभी जोन कार्यालय में मिलेगा महतारी वंदन योजना का फार्म

भिलाईनगर। छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट से महत्वकान्क्षी महतारी वंदन योजना को मंजूरी मिलने के बाद अब योजना को लागू किया जा रहा है। इसके लिए भिलाई निगम के मुख्य कार्यालय तथा सभी पांच जोन कार्यालय में फाॅर्म वितरण एवं जमा लेना प्रारंभ किया जाएगा।

निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने आदेश जारी कर सभी जोन कार्यालय में 3 काउंटर लगाने के निर्देश दिए है। योजना के तहत विवाहित महिलाओं को शासन की तरफ से हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे।

छत्तीसगढ़ शासन ने महतारी वंदन योजना को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे लागू किया जा रहा है। भिलाई निगम क्षेत्र के महिला हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित करने के लिए निगम मुख्य कार्यालय सुपेला , जोन 01 नेहरूनगर, जोन 02 वैशालीनगर, जोन 03 मदर टेरेसा नगर, जोन 04 शिवाजी नगर खुर्सीपार, जोन 05 सेक्टर 06 कार्यालय सहित परियोजना कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग जुनवानी में तीन काउंटर लगाए जाएंगे। कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से 4 बजे तक हितग्राहियों की सुविधा के लिए काउंटर खुले रहेगे। पहले काउंटर पर फाॅर्म वितरण, दूसरे काउंटर पर हितग्राही द्वारा दिए गए फाॅर्म की स्क्रूटनी एवं तीसरे काउंटर में फॅार्म को जमा लिया जाएगा।

। इस योजना के तहत राज्य की विवाहित महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह यानि कि वर्ष मे 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। योजना के लागू होने से महिला सशक्तिकरण की दिशा में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा।

आवश्यक दस्तावेज

हितग्राहियों को आवेदन के जन्म प्रमाण पत्र , निवास हेतु सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाण पत्र , राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र , आवेदिका का आधार कार्ड, विधवा होने की स्थिति मे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदिका के पति का पेन कार्ड व आधार कार्ड , परित्यक्ता/ तलाक शुदा होने की स्थिति मे प्रमाण पत्र , विवाहित महिला द्वारा स्वघोषणा शपत पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा।